प्रेस प्रकाशनी

संसद का मानसून सत्र, 2016 जो सोमवार, 18 जुलाई, 2016 को शुरू हुआ था, शुक्रवार, 12 अगस्त, 2016 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 26 दिनों की अवधि में 20 बैठकें हुईं।

2. संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2016, जिनको वस्तुओं या सेवाओं की परिधि से बाहर रखा गया है उन्हें छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन-देन पर वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए संविधान में सामर्थ्यकारी उपबंध करने वाला एक ऐतिहासिक विधान, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। वस्तु और सेवा कर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे अनेक अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा और इसका अभिप्राय करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक आम राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है।

3. सत्र के दौरान वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर लोक सभा में चर्चा की गई और पारित किया गया।

4. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए अध्यादेशों अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 तथा दंत चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 को प्रतिस्थापित करने वाले दो विधेयकों पर सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।

5. लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत (i) कश्मीर घाटी में हाल की हिंसा से उत्पन्न स्थिति जो राज्य की जनता की शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनी; (ii) मूल्य वृद्धि; (iii) स्थायी विकास के लक्ष्य (आंशिक चर्चा हुई); और (iv) देश में दलितों पर अत्याचार संबंधी विषयों पर 4 अल्पावधि चर्चाएं हुईं।

6. राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत (i) कश्मीर घाटी में हाल की हिंसा और उत्पात की घटनाएं जो जान-माल के बड़े नुकसान का कारण बनी; (ii) देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार की हाल की घटनाओं; (iii) देश में मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति; (iv) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 और आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 20 फरवरी, 2014 को सदन में तत्कालीन सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की स्थिति; (v) उत्तराखंड और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में सरकार परिवर्तन का कारण बनी घटनाओं और अपने-अपने राज्यों में राज्यपालों की भूमिका; और (vi) मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2016 संबंधी विषयों पर 6 अल्पावधि चर्चाएं हुईं। कश्मीर घाटी में व्याप्त स्थिति पर भी एक चर्चा हुई।

7. इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 2 और राज्य सभा में 5 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

8. औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013 को राज्य सभा में वापस लिया गया।

9. सत्र के दौरान, 15 विधेयक (लोक सभा में 14 और राज्य सभा में 1) पुर:स्थापित किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा ने 15 विधेयक और राज्य सभा ने 14 विधेयक पारित किए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 15* विधेयक पारित किए गए। उन विधेयकों के नामों की सूची संलग्न है जिन्हें सत्र के दौरान पुर:स्थापित किया गया, जिन पर विचार किया गया और जिन्हें पारित किया गया।

10. लोक सभा की उत्पादिता क्रमश: 110.84% व राज्य सभा की उत्पादिता 99.54% रही।

***

*लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए पारेषित 2 विधेयकों की राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयकों को दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित किया गया मान लिया जाएगा जिस रूप में उन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

16वीं लोक सभा के 9वें सत्र और राज्य सभा के 240वें सत्र (मानसून सत्र, 2016) के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I-लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
2. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
4. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
5. उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016
6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016
7. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
8. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
9. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016
10. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
11. कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016
12. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016
13. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016
14. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

II-लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
2. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
3. *भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2016
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
5. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
6. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
7. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
8. बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन विधेयक, 2016
9. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016
10. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2016
11. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016
12. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
13. कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016

14. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016
15. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

*संशोधन (संशोधनों) को मान लिया गया।

III-राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016

IV-राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक, 2016
2. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
3. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2016
4. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
7. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
8. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
9. बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन विधेयक, 2016
10. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2016
11. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2013
12. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016
13. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
14. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016

V-दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक, 2016
2. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2016
3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
4. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
5. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2016
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
7. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
8. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
9. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
10. बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन विधेयक, 2016
11. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2016

12. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016

13. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

14. #कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

15. #विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016

#लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए पारेषित 2 विधेयकों की राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयकों को दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित किया गया मान लिया जाएगा जिस रूप में उन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।